भारत का सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या 9485/2003

आयकर आयुक्त, जयपुर ..... अपीलार्थी (ओं)

बनाम

राजस्थान राज्य बुनकर एस. समिति लिमिटेड ..... उत्तरदाता (ओं)

साथ में

सिविल अपील संख्या 332 /2005

<u>आदेश</u>

1. दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

2. निर्धारिती- सोसायटी एक शीर्ष संस्था है। यह कच्चे माल, यानी सूत की आपूर्ति करके कपड़े के निर्माण की गतिविधि को अंजाम देता है, उन बुनकरों, जो प्राथमिक समितियों के सदस्य हैं, जो वास्तव में निर्धारिती-सोसाइटी के सदस्य हैं। बुनकर निर्धारिती के नियंत्रण और सख्त निर्देशों के अनुसार कपड़े का उत्पादन करते हैं। निर्धारिती बुनकरों को बुनाई शुल्क का भुगतान करता है और उसके बाद इस तरह से उत्पादित वस्तुओं का

विपणन और बिक्री करता है। संबंधित मूल्यांकन वर्षों के दौरान, भारत सरकार की जनता क्लॉथ योजना के तहत कपड़े का निर्माण और बिक्री की गई थी।

3. प्रासंगिक निर्धारण वर्षों के लिए, निर्धारिती ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80पी (2) (ए) (ii) और धारा 80पी (2) (ए) (vi) के तहत Rs.30,87,212/- की कटौती का दावा किया।

4. इन मामलों में निर्धारण के लिए जो संकीर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है- क्या निर्धारिती-सोसायटी को अधिनियम की धारा 80पी (2) (ए) (ii) के तहत एक कुटीर उद्योग में संलग्न कहा जा सकता है या क्या इसे अधिनियम की धारा 80पी (2) (ए) (vi) के तहत अपने सदस्यों के श्रम के सामूहिक निपटान में संलग्न कहा जा सकता है?

5. विभाग का तर्क यह है कि बुनकर एपेक्स सोसायटी के सदस्य नहीं हैं। वे प्राथमिक समितियों के सदस्य हैं। इसलिए, निर्धारिती अधिनियम की धारा 80पी (2) (ए) (vi) के तहत कटौती के लाभ का दावा करने का हकदार नहीं है।

6. हमारी राय में, इन दोनों प्रश्नों पर, निर्धारण अधिकारी को उपनियमों का आह्वान करना चाहिए था। ऐसा प्रतीत होता है कि उपनियमों को निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि निर्धारण अधिकारी द्वारा उपनियमों की जांच नहीं की गई है। इसके अलावा, यह स्पष्ट नहीं है कि कोई बुनकर उपनियमों के तहत एपेक्स

सोसाइटी का सदस्य बन सकता था या नहीं। यहाँ तक कि इस सवाल का जवाब देने के लिए कि क्या निर्धारिती-सोसायटी कुटीर उद्योग में संलिप्त है, विभाग को उपनियमों का आह्वान करना चाहिए था, यह अभ्यास भी नहीं किया गया है। इन परिस्थितियों में, प्रासंगिक मूल्यांकन वर्षों के लिए, हम निचली न्यायालयों द्वारा दिए गए निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह आदेश भविष्य के मूल्यांकन वर्षों के लिए मूल्यांकन करने में विभाग के रास्ते में नहीं आएगा। तथापि, ऐसी स्थिति में, विभाग उपनियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 80पी (धारा 80पी (2) के प्रावधान सहित) की प्रयोज्यता पर निर्णय लेगा। उपनियमों के उक्त प्रावधान निर्धारिती के व्यवसाय की प्रकृति के साथ-साथ बुनकरों को एपेक्स सोसाइटी का सदस्य बनने की पात्रता की ओर भी इशारा करेंगे। विभाग यह तय करने के लिए केंद्र सरकार की जनता योजना की जांच करेगा कि क्या इसके तहत किए गए भुगतान अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(ii) और धारा 80पी(2)(ए)(vi) के तहत कटौती के हकदार होंगे।

7. तदनुसार, सिविल अपीलों का निस्तारण बिना लागत के आदेश के किया जाता है।

न्यायाधिपति [एस.एच. कपाडिया]

न्यायाधिपति [आफताब आलम]

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2010

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।